

कार्यालय
आयकर आयुक्त-II,
केंद्रीय राजस्व भवन, नेपियर टाउन,
जबलपुर

संख्या: आ.आ. II/अकाउ/नकी/12A/3/05-06 दिनांक: 12/7/05

जायति युवा मंच संस्था, शाहनगर
पन्ना - ने आयकर अधिनियम

की धारा 12(1) के अधीन अपना पंजीकरण करने हेतु आवेदन फार्म
10ए में दिनांक 11-4-05 को प्रस्तुत किया है।

आवेदन-पत्र नियत अपील के भीतर दाखिल नहीं किया गया
है। यह 11 वर्ष 10 माह 10 दिनों से विलंब से
प्रस्तुत किया गया है। पूर्ण आवेदन पत्र विलंब से प्रस्तुत करने के
पर्याप्त कारण नहीं बताए गए हैं, अतः पंजीकरण दिनांक 1-4-05
से प्रभावशील किया जाये।

आवेदन संस्था का पंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा
12(1) के अधीन इस कार्यालय में रखे जा रहे संबंधित रजिस्टर में
पंजीकरण संख्या: आ.आ. II/अकाउ/नकी/12A/3/05-06
पर प्रेषित की गयी है।

प्रमाण-पत्र बिना पूर्वाह - के जारी किया गया है। आयकर
की विषयणी दाखिल करने पर छूट के दावों की जांच गुणों के अधार
पर कर-निर्धारण अधिकारी के द्वारा की जायेगी।



सही
आयकर आयुक्त-II,
जबलपुर

प्रति अभिप्रेत:
1. अध्यक्ष सचिव जायति युवा मंच संस्था, शाहनगर पन्ना

2. कर-निर्धारण अधिकारी, वार्ड/तर्मल सचिव

3. सं.आ.आ., परिदेम: सचिव
सूचनाार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सचिव

आयकर अधिकारी II
केंद्र आयकर आयुक्त-II,
जबलपुर।